

गृह मंत्रालय  
मांग संख्या 51  
पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
<b>कुल</b>	108293.27	8216.41	116509.68	117782.65	11844.87	129627.52	117636.44	10115.26	127751.70	130971.60	13351.60	144323.20	
<b>वसूलियां</b>	-859.16	-10.40	-869.56	-1835.78	-35.00	-1870.78	-1245.65	-70.23	-1315.88	-1037.30	-10.00	-1047.30	
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>निवल</b>	<b>107434.11</b>	<b>8206.01</b>	<b>115640.12</b>	<b>115946.87</b>	<b>11809.87</b>	<b>127756.74</b>	<b>116390.79</b>	<b>10045.03</b>	<b>126435.82</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:													
<b>केंद्र का व्यय</b>													
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>													
1. <b>केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल</b>													
1.01	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	28718.39	479.53	29197.92	31154.09	618.14	31772.23	30594.94	794.10	31389.04	30934.56	608.64	31543.20
1.02	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	1107.22	44.29	1151.51	1216.47	70.07	1286.54	1252.21	70.72	1322.93	1202.16	71.03	1273.19
1.03	सीमा सुरक्षा बल	22980.93	293.01	23273.94	24215.51	555.77	24771.28	24339.46	699.22	25038.68	24873.42	599.02	25472.44
1.04	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	7637.22	99.04	7736.26	7922.28	174.61	8096.89	8101.37	102.31	8203.68	8491.90	142.31	8634.21
1.05	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	12720.61	68.97	12789.58	13072.24	142.44	13214.68	12817.70	112.15	12929.85	14260.83	71.06	14331.89
		-567.00	...	-567.00	...	...	...	...	...	...	-775.00	...	-775.00
	<b>निवल</b>	<b>12153.61</b>	<b>68.97</b>	<b>12222.58</b>	<b>13072.24</b>	<b>142.44</b>	<b>13214.68</b>	<b>12817.70</b>	<b>112.15</b>	<b>12929.85</b>	<b>13485.83</b>	<b>71.06</b>	<b>13556.89</b>
1.06	असम रायफल	6447.50	217.59	6665.09	6801.27	251.19	7052.46	6986.27	290.02	7276.29	7100.08	328.25	7428.33
1.07	सशस्त्र सीमा बल	7576.90	89.84	7666.74	8146.98	182.12	8329.10	8302.27	133.41	8435.68	8764.50	117.31	8881.81
1.08	विभागीय लेखांकन	126.39	...	126.39	141.85	...	141.85	144.79	...	144.79	157.55	2.50	160.05
	<b>जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल</b>	<b>86748.16</b>	<b>1292.27</b>	<b>88040.43</b>	<b>92670.69</b>	<b>1994.34</b>	<b>94665.03</b>	<b>92539.01</b>	<b>2201.93</b>	<b>94740.94</b>	<b>95010.00</b>	<b>1940.12</b>	<b>96950.12</b>
2.	आसूचना व्यूरो	2807.42	59.48	2866.90	3163.26	255.06	3418.32	3023.44	245.50	3268.94	3326.83	497.00	3823.83
3.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	44.14	50.00	94.14	40.98	159.55	200.53	36.07	161.57	197.64	36.95	161.58	198.53
4.	विशेष रक्षा दल	339.79	60.65	400.44	356.59	77.00	433.59	390.00	56.83	446.83	430.82	75.50	506.32
5.	दिल्ली पुलिस	11240.07	287.22	11527.29	10642.11	1019.92	11662.03	11047.67	892.66	11940.33	10291.28	889.05	11180.33
6.	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9046.17	743.25	9789.42
7.	केंद्रीय पुलिस संगठन	925.34	21.22	946.56	1049.37	97.84	1147.21	1187.06	131.00	1318.06	1324.82	181.55	1506.37
8.	शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	260.31	10.20	270.51	323.38	118.79	442.17	319.10	121.70	440.80	811.93	536.42	1348.35
9.	अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान	65.20	2.61	67.81	81.22	28.25	109.47	75.59	12.34	87.93	71.73	13.14	84.87

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>102430.43</b>	<b>1783.65</b>	<b>104214.08</b>	<b>108327.60</b>	<b>3750.75</b>	<b>112078.35</b>	<b>108617.94</b>	<b>3823.53</b>	<b>112441.47</b>	<b>120350.53</b>	<b>5037.61</b>	<b>125388.14</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
10. आईवीएफआरटी (आब्रजन, बीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग)	291.53	...	291.53	229.25	...	229.25	229.25	...	229.25	226.25	...	226.25
11. बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिबर बोट और हेलीबेस	22.52	34.15	56.67	21.69	56.49	78.18	20.06	61.92	81.98	28.83	135.27	164.10
12. सीमा अवसंरचना और प्रबंधन												
12.01 रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट	258.55	...	258.55	350.61	...	350.61	290.50	...	290.50	319.03	...	319.03
12.02 पूंजी परिव्यय	...	3157.44	3157.44	...	3194.42	3194.42	...	2881.72	2881.72	...	3437.48	3437.48
जोड़- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन	258.55	3157.44	3415.99	350.61	3194.42	3545.03	290.50	2881.72	3172.22	319.03	3437.48	3756.51
13. पुलिस अवसंरचना												
13.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	1877.26	1877.26	...	3366.66	3366.66	...	2071.15	2071.15	...	2926.88	2926.88
13.02 दिल्ली पुलिस	...	258.80	258.80	...	270.00	270.00	...	188.50	188.50	...	220.48	220.48
13.03 मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	5.00
जोड़- पुलिस अवसंरचना	...	2136.06	2136.06	...	3636.66	3636.66	...	2259.65	2259.65	...	3152.36	3152.36
14. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
14.01 निर्भया निधि अंतरण	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	200.00	...	200.00
14.02 महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम और विविध योजनाएं	61.31	0.46	61.77	85.78	35.00	120.78	54.13	70.23	124.36	42.85	10.00	52.85
14.03 महिला हेल्प डेस्क/मानव तस्करी निवारण को मजबूत बनाना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.01	...	5.01
14.04 निर्भया निधि से लिया गया	-61.31	-0.46	-61.77	-85.78	-35.00	-120.78	-54.13	-70.23	-124.36	-47.86	-10.00	-57.86
14.05 आपातकालीन मोचन सहायता प्रणाली	18.90	...	18.90	221.00	...	221.00	205.07	...	205.07	150.00	...	150.00
14.06 राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना सहित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन	...	...	...	...	...	...	0.36	2.34	2.70	5.00	50.00	55.00
14.07 फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	...	...	...	...	...	...	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00
जोड़- महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना	118.90	...	118.90	321.00	...	321.00	1005.43	2.34	1007.77	1055.00	50.00	1105.00
15. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र	18.80	...	18.80	94.40	...	94.40	39.55	47.39	86.94	...	...	...
16. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV	1.48	76.19	77.67	31.72	170.55	202.27	23.14	109.48	132.62	22.30	158.91	181.21
17. अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली	75.96	...	75.96	590.60	...	590.60	300.00	...	300.00	250.00	...	250.00
18. जेलों का आधुनिकीकरण	100.00	...	100.00	250.00	...	250.00	200.00	...	200.00	300.00	...	300.00
19. गरीब कैदियों को सहायता	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
20. राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31.03	118.97	150.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>887.74</b>	<b>5403.84</b>	<b>6291.58</b>	<b>1889.27</b>	<b>7058.12</b>	<b>8947.39</b>	<b>2127.93</b>	<b>5362.50</b>	<b>7490.43</b>	<b>2252.44</b>	<b>7052.99</b>	<b>9305.43</b>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
21. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	358.45	...	358.45	330.00	...	330.00	374.50	...	374.50	330.00	...	330.00
22. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय	70.00	...	70.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
23. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	110.00	...	110.00	90.00	...	90.00
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>508.45</b>	<b>...</b>	<b>508.45</b>	<b>490.00</b>	<b>...</b>	<b>490.00</b>	<b>564.50</b>	<b>...</b>	<b>564.50</b>	<b>500.00</b>	<b>...</b>	<b>500.00</b>
<b>अन्य</b>												
24. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	15.71	...	15.71	35.00	1.00	36.00	41.19	...	41.19	125.30	1.00	126.30
25. कल्याण अनुदान और विविध	81.90	...	81.90	80.00	...	80.00	950.29	...	950.29	850.90	...	850.90
26. अनुसंधान	629.17	1028.46	1657.63	775.00	1000.00	1775.00	700.00	859.00	1559.00	750.00	1250.00	2000.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>726.78</b>	<b>1028.46</b>	<b>1755.24</b>	<b>890.00</b>	<b>1001.00</b>	<b>1891.00</b>	<b>1691.48</b>	<b>859.00</b>	<b>2550.48</b>	<b>1726.20</b>	<b>1251.00</b>	<b>2977.20</b>
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>1235.23</b>	<b>1028.46</b>	<b>2263.69</b>	<b>1380.00</b>	<b>1001.00</b>	<b>2381.00</b>	<b>2255.98</b>	<b>859.00</b>	<b>3114.98</b>	<b>2226.20</b>	<b>1251.00</b>	<b>3477.20</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>पुलिस बल का आधुनिकीकरण</b>												
27. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
27.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस)	34.72	...	34.72	264.12	...	264.12	221.16	...	221.16	520.51	...	520.51
27.02 वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसरचना स्कीम	2671.70	...	2671.70	2780.88	...	2780.88	2616.24	...	2616.24	3199.62	...	3199.62
27.03 नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो	2.36	...	2.36	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...
27.04 फोरेंसिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण	187.50	...	187.50	700.00	...	700.00	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण</b>	<b>2896.28</b>	<b>...</b>	<b>2896.28</b>	<b>3750.00</b>	<b>...</b>	<b>3750.00</b>	<b>2837.40</b>	<b>...</b>	<b>2837.40</b>	<b>3720.13</b>	<b>...</b>	<b>3720.13</b>
<b>सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम</b>												
28. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	130.28	...	130.28	600.00	...	600.00	251.54	...	251.54	335.00	...	335.00
29. महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं)												
29.01 सुरक्षित शहर परियोजनाएं	85.00	...	85.00	1100.00	...	1100.00	516.52	...	516.52	214.44	...	214.44
29.02 निर्भया निधि से पूरा किया गया	-12.71	...	-12.71	-1100.00	...	-1100.00	-516.52	...	-516.52	-214.44	...	-214.44
<i>निवल</i>	<i>72.29</i>	<i>...</i>	<i>72.29</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
30. वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00	1050.00	...	1050.00
<b>जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं</b>	<b>3098.85</b>	<b>...</b>	<b>3098.85</b>	<b>4350.00</b>	<b>...</b>	<b>4350.00</b>	<b>3388.94</b>	<b>...</b>	<b>3388.94</b>	<b>5105.13</b>	<b>...</b>	<b>5105.13</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
31. वास्तविक वसूलियां	-218.14	-9.94	-228.08	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>107434.11</b>	<b>8206.01</b>	<b>115640.12</b>	<b>115946.87</b>	<b>11809.87</b>	<b>127756.74</b>	<b>116390.79</b>	<b>10045.03</b>	<b>126435.82</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. पुलिस	104673.41	...	104673.41	112455.65	...	112455.65	113183.27	...	113183.27	124984.55	...	124984.55
2. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	...	8206.01	8206.01	...	11296.03	11296.03	...	9985.03	9985.03	...	12827.76	12827.76
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>104673.41</b>	<b>8206.01</b>	<b>112879.42</b>	<b>112455.65</b>	<b>11296.03</b>	<b>123751.68</b>	<b>113183.27</b>	<b>9985.03</b>	<b>123168.30</b>	<b>124984.55</b>	<b>12827.76</b>	<b>137812.31</b>
<b>अन्य</b>												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1242.14	...	1242.14	2538.24	...	2538.24	2262.33	...	2262.33	3771.37	...	3771.37
4. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	1518.56	...	1518.56	952.98	...	952.98	945.19	...	945.19	1178.38	...	1178.38
5. पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	512.84	512.84	...	60.00	60.00	...	512.84	512.84
6. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	...	1.00	1.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>2760.70</b>	<b>...</b>	<b>2760.70</b>	<b>3491.22</b>	<b>513.84</b>	<b>4005.06</b>	<b>3207.52</b>	<b>60.00</b>	<b>3267.52</b>	<b>4949.75</b>	<b>513.84</b>	<b>5463.59</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>107434.11</b>	<b>8206.01</b>	<b>115640.12</b>	<b>115946.87</b>	<b>11809.87</b>	<b>127756.74</b>	<b>116390.79</b>	<b>10045.03</b>	<b>126435.82</b>	<b>129934.30</b>	<b>13341.60</b>	<b>143275.90</b>

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** यह प्रावधान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात् केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्स, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों की खरीद के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों, उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समीप से सुरक्षा प्रदान करता है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस प्रावधान में नियमित खर्चों के साथ-साथ

एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिग्नल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्च शामिल हैं।

6. **जम्मू एवं कश्मीर पुलिस:** यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये है। जम्मू-कश्मीर पुलिस जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को बनाए रखने और लागू करने के लिये जिम्मेदार है।

7. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अशु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

8. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण हस्तक्षेप, (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित अनुसंधान एवं विकास परियोजना (ग) नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग आदि। इस प्रावधान में भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 160.00 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

, जो वर्ष 2024-25 के लिये अनुदानों की मांगों के संसद द्वारा पारित होने और सम्बन्धित विनियोग अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद भारत की आकस्मिकता निधि में वापस आ जाएगी।'

9. **अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान:** यह न्यायलिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय न्यायलिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर होने वाले प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। प्रावधान केन्द्रीय न्यायलिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान और विकास योजनाओं और क्षेत्रीय न्यायलिक प्रयोगशालाओं और डीएनए केंद्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है।

10. **आईवीएफआरटी (आम्रजन, बीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रेकिंग):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है, जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

11. **बीएसएफ एयर विंग, विमान, रिबर बोट और हेलीबेस:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

12.01. **रखरखाव और बॉर्डर चेक पोस्ट:** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

12.02. **पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर (ओपी टावर) के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में संचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमा चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

13.01. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभागीय लेखाकरण संगठन और विशेष सुरक्षा गुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

13.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13.03. **मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता:** यह प्रावधान नारकोटिक्स नियंत्रण के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** यह प्रावधान लोक लेखा के अंतर्गत निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने और उनसे संबंधित व्यय महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी स्कीमों के आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन और विधि विज्ञान संबंधी क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए है।

15. **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र:** यह प्रावधान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए है।

16. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना IV:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना IV पर व्यय के लिए है।

17. **अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली:** यह प्रावधान अंतर प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली पर हुए खर्च के लिए है।

18. **जेलों का आधुनिकीकरण:** यह प्रावधान कारागार के आधुनिकीकरण पर हुए व्यय के लिए है।

19. **गरीब कैदियों को सहायता:** यह प्रावधान उन गरीब व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए है, जो कारागारों में बंद हैं और अर्थदण्ड अथवा जमानत राशि को वहन करने में असमर्थ हैं, उन्हें इस स्कीम के तहत अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

20. **राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना:** यह प्रावधान एनएफएसयू के विभिन्न परिसरों और विभिन्न सीएफएसएल प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिये है।

21. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की निगरानी और उनका विनिमयन करने में भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए है, ताकि सीमा-पार से लोगों और सामान की आवाजाही का बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन किया जा सके।

22. **राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए है।

23. **राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए है।

24. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बटालियनों के गठन और रखरखाव तथा बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों हेतु की गई प्रतिपूर्ति पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए है।

25. **कल्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज तैयार करने और अन्य सरकारों / विभागों को दिए गए शुल्क के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचे, आतंकवादी / काउंटर विद्रोह में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान संबंधी परिव्यय भी शामिल है।

26. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

27.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियां (सीसीटीएनएस):** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण पुलिस अवसंरचना के उन्नयन संबंधी विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता, अपराध और अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली जैसी स्कीमों का प्रावधान शामिल है।

27.02. **वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 35 जिलों हेतु विशेष अवसंरचना स्कीम एवं विशेष केंद्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, विभिन्न राज्यों में सिविल एक्शन कार्यक्रम तथा मीडिया नियोजन संबंधी गतिविधियां आदि जैसी स्कीमों का प्रावधान शामिल है।

27.03. **नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक मादक पदार्थों द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु राज्यों के संसाधनों में कमियों को पूरा करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को प्रदान किए जाने वाले अनुदानों पर हुए व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

28. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए है।

29. **महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना (सुरक्षित शहर परियोजनाएं):** यह प्रावधान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्भया कोष से वित्तपोषित सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास के लिए है।

30. **बाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम:** यह प्रावधान बाइब्रेंट विलेजिज कार्यक्रम के तहत चयनित सीमावर्ती गांवों के चरणबद्ध ढंग में समग्र विकास के लिए है। इसमें ग्रामीण अवसंरचना का विकास, सड़क कनेक्टिविटी और अन्य विकासात्मक कार्य शामिल हैं।